

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, रामगढ़

राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर गोला रोड़, रामगढ़ कैंट ssa ramgarh@rediffmail.com



दिनांक-..../04/2025

आम-सूचना

RTE 2009 की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत 25% सीट में नामांकन से संबंधित।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत जिला के सभी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2025—26 में 25% सीट पर अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जाना है। 25% कोटि में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन कार्यालय पोर्टल www.rteramgarh.in पर दिनांक 21.04.2025 के पूर्वाहन 10:00 बजे से 05.05.2025 के अपराहन 05:00 बजे तक भरा जायेगा एवं माता-पिता/अभिभावक भरे गए आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेजों (जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार) को स्वअभिप्रमाणित करते हुए संबंधित विद्यालय में दिनांक 07.05.2025 के अपराहन 02:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। गलत प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित माता-पिता/अभिभावक की होगी। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन एवं अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की समुचित जाँचोपरांत तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के प्रावधानों के अनुरूप योग्य बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय में लिया जायेगा। नामांकन हेतु विद्यालय का नाम, रिक्त सीट, योग्यता एवं आवेदन करने आधिकारिक जानकारी www.rteramgarh.in एवं जिला www.ramgarh.nic.in पर उपलब्ध है।

> जिला शिक्षा अधीक्षक सहि १९०० अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखण्ड शिक्षा परियोजना,रामगढ।

> जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखण्ड शिक्षा परियोजना,रामगढ

JHARKHAND EDUCATION PROJECT, RAMGARH Enrollment Under RTE 2009 Section, 12(1)(C) 2025-26

	127	28	155	611			Grand Total	
	9	1	10	40	L.K.G	Ramgarh	Radha Govind Public School	23
	7	0	7	25	Nur.	Ramgarh	Sri Gurunanak Public School, Ramgarh cantt.	22
	8	0	8	30	Nur.	Ramgarh	Sri Krishna Vidya Mandir Vikash nagar Ramgarh Cantt.	21
	10	0	10	40	Nur. (Arun)	Ramgarh	Ram Prasad Chandrabhan Saraswati Vidya Mandir	20
	6	0	6	30	Nur.	Patratu	DAV Public School, CCL NTS Barkakana	19
	10	0	10	40	Nur.	Patratu	Shree Agrasen School, Patelnagar Bhurkunda	18
	5	0	5	20	L.K.G	Patratu	DAV Public School, PTPS Patratu	17
	8	0	8	30	L.K.G	Patratu	Saraswati Shishu Mandir, Patratu Tharmal (PTPS)	16
	S	0	5	20	L.K.G	Patratu	Saraswati Vidya Mandir, Patratu Bazar	15
	8	0	8	30	I	Patratu	Patratu School of Economics PTPS	14
	8	_	9	35	Nur.	Patratu	O.P Jindal School, Patratu	13
	2		S	10	Nur. (Bal Vatika)	Mandu	DAV Public School Topa Colliary Sarubera Mandu	12
	5	0	5	20	L.K.G	Mandu	Saraswati Vidya Mandir, Kundaria	=
	1	4	5	20	Nur.	Mandu	DAV Public School, Tapin	10
	U3	0	w	10	L.K.G	Mandu	DAV Public School Kedla	9
	2	0	2	8	Nur.	Mandu	Tata DAV Public School, West Bokaro, Ghatotand	~
	6	0	6	20	L.K.G	Mandu	Bal Vidya Mandir Ara Kuju	7
	0	7	7	28	Nur.	Mandu	DAV Senior Secondary Public School, Ara Kuju	6
	6	0	6	25	Nur.	Mandu	Sarvoday Niketan, Kuju, Ramgarh	5
	8	2	10	40	Nur.	Mandu	Holy Cross School Ghatotand	4
	0	5	5	20	Nur.	Mandu	Agrasen DAV Public School, Bharechnagar	ယ
	10	0	10	40	I	Chitarpur	Saraswati Vidya Mandir, Rajrappa Project	2
	0	7	7	30	Pre-Nur.	Chitarpur	DAV Public School, Rajrappa Project	_
Remarks	Remaining Seat	Addmission Taken Under RTE of 12(1)(C) in 2025-26	25% of intake capacity	Total capacity	Entry class	Name of Block	Name of School	N _o .
			100	10, =0=0	200 20000000000000000000000000000000000	Onder Mind		

DSE-cum-UDPO.





झारखण्ड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्रायगिक शिक्षा निदेशालय) -:अधिसूचना:-

रांची/दिनांक - 16.02.2016

सं.सं-8/स्था 1-29/2011 239 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चो को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रावधान को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत कार्यवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है-

- 1. अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों, में प्रवेश की सुविधा पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को है। पड़ोस से तात्पर्य है, विद्यालय के 1 कि.मी. दूरी सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चे। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते है तो विद्यालय के विस्तारित सीमा अर्थात तीन कि.मी. की दूरी सीमा में वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा। फिर भी यदि सीट खाली रह जाता है तो 6 कि.मी. दूरी सीमा तक वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा।
- 2. अभिवंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे ।
- 3. कमजोर वर्ग से सात्पर्य है ऐसे बच्चे, जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हो और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 72.000/- से कम हो।
- 4. अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में प्राथमिकता वैसे बच्चों को दी जायेगी, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 72,000/- से कम हो।
- 5. विद्यालय के पास पड़ोस की दुरी सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज नामांकन हेतु मान्य होंगे:-
 - (i) आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र
 - (ii) ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)
 - (iii) राशन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ बिजली बिल जिसमे पालक/अभिभावक का निवास का पता अंकित हो |
- 6. अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं पारिवारिक आय के प्रमाण स्वरुप निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होगे-
 - (i) अनुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण के लिए बच्चों के पालक/अभिवावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख हो।
 - (ii) 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड/असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र द्वारा जारी विल्लांगता प्रमाण-पत्र।
 - (iii) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र।
- 7. नर्सरी, एल.के.जी. में नामांकन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा क्रमशः 3 वर्ष 6 माह से अधिक 4 साल 6 माह से कम तथा कक्षा एक में नामांकन हेतु उस सीमा 5 वर्ष 6 माह से अधिक एवं 7 वर्ष से कम होगी।





Government of Jharkhand Department of School Education and Literacy (Directorate of Primary Education) -: Notification:-

Ranchi/Date - 16.02.2016

Ref. No. - 8/Establishment 1 - 29/2011 239

According to section 12(1) (c) of the Right to Free and Compulsory Education Act, 2009, it is provisioned that a minimum of 25% of seats in the entry class of non-aided private schools shall be reserved for children belonging to neighboring disadvantaged groups and weaker sections. To implement this provision, the state government has decided to undertake the following measures while implementing the previous instructions:

- 1. As per the provisions of the Act, the facility of admission in non-aided private schools is for children belonging to neighboring disadvantaged groups and weaker sections. Neighboring refers to children residing within a one-kilometer radius of the school. If sufficient children are not available within this radius, enrollment of children residing within an expanded radius of three kilometers from the school boundary will be considered. However, if seats remain vacant, enrollment of children residing within a distance of five kilometers from the school boundary will be considered.
- 2. Disadvantaged groups refer to scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, minority communities, and children with disabilities exceeding 40% or more.
- 3. Weaker sections refer to children who do not belong to the disadvantaged group and whose family's annual income from all sources is less than INR 72,000.
- 4. Priority in the enrollment of children belonging to disadvantaged groups and weaker sections will be given to those whose family's annual income is less than INR 72,000 from all sources.

- 5. Parents or guardians of children residing within the proximity of the school boundary will be required to submit the following documents for enrollment:
 - (i) Aadhar Card/Voter Identity Card
- (ii) Job Card of Rural Area (under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme)
- (iii) Ration Card/Driving License/Electricity Bill with the parent/guardian's residential address.
- 6. The following documents will be accepted as proof for the enrollment of children belonging to disadvantaged groups and weaker sections:
- (i) Any government document of the parents/guardians for proof of belonging to the scheduled caste/scheduled tribe.
- (ii) Disability certificate issued by the Medical Board/Military Surgeon, District Hospital, Medical Officer, Primary Health Center, for children with disabilities exceeding 40%.
 - (iii) Income certificate issued by the concerned Regional Officer.

7. For enrollment in Nursery, LKG, the minimum and maximum age limit will be 3 years 6 months and 4 years 6 months, respectively, and for Class I, the age limit will be more than 5 years 6 months and less than 7 years.

24/2/25

DYNNY